12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Director (Administration/Establishment)/Secretary, Central Water Commission —Chairman 2. Director/Superintending Engineer, Central Water Commission (co-opted) —Member 3. Director/Under Secretary, Central Electricity Authority —Member 4. Under Secretary, concerned, Central Water Commission —Member	Not Applicable

Foot note : The principal rules were published vide No. GSR 683, dated the 10th June, 1972 and subsequently amended vide No. GSR 1346, dated the 14th December, 1974. The Central Water and Power Research Station, Poona, Auxiliary Technical Services (Laboratory Staff) Recruitment Rules, 1983 dated the 14th December, 1983, (in so far as the post of Computer 'A' and 'B' is concerned) which is now redesignated/merged with the post of Laboratory Assistant Grade II and Grade-III respectively in Central Water and Power Research Station, Poona, were published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i) under No. GSR 55 21st January, 1984

[No. 16/93/F.No. 39/3/92 Estt. I]

MEENAKSHI ARORA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1993

सा.का.नि. 311:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में,—

(1) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. इन नियमों के प्रयोजन के लिए, कर्मचारियों को निम्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :

ग्रुप ए : वह पद जिनका वेतन या वेतनमान न्यूनतम 4000/- रु. और इससे अधिक है।

ग्रुप बी : वह पद जिसका वेतन या वेतनमान न्यूनतम 2900/- रु. परन्तु अधिकतम 4000/- रु से कम हो।

ग्रुप सी : वह पद जिसका वेतन या वेतनमान 1150- रु. से अधिक परन्तु 2900- रु. से अधिक न हो।

ग्रुप डी : वह पद जिसका वेतन या वेतनमान अधिकतम 1150/- रु. और इससे कम हो।

बशर्ते कि वर्तमान पदों में विशेष रूप से जोड़ने के 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद बनाए गए पदों का वही वर्गीकरण पद होगा जिसमें वे जोड़े गए हैं।

नोट :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए :—

(i) वेतन से अभिप्राय वह राशि है जो परिषद् कर्मचारी ने वेतन (विशेष वेतन या उसके कार्मिक अर्हताओं के लिए दिए गए वेतन के अलावा (समुद्र पार वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन) तथा अन्य कोई परिलब्धियों के रूप में प्रतिमाह ली हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से वर्गीकृत की जा सके।

(ii) किसी पद के वेतन या वेतनमान में अभिप्राय केन्द्रीय नागरिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के वेतनमान है जो समय-समय पर परिषद् कर्मचारी पर लागू है।

(2) नियम 8 में,

(i) खंड (i) से (iv) के शीर्षक के लिए "माइनर पेनलटी" शब्द और खंड (v) से (ix) तक के शीर्षक के लिए "मेजर पेनलटी" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ix) के पश्चात् और "स्पष्टीकरण" से पहले निम्नलिखित प्रावधान अन्तःस्थापित जाएंगे, अर्थात् :—

"बशर्ते कि प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें विधि पारिश्रमिक के अलावा, किसी भी परिपोषण के व्यक्ति से स्वीकृत आरोप किसी भी सरकारी अधिनियम को करने या करने के लिए वहन करने के उद्देश्य या

परितोषिक के रूप में स्थापित है, स्तम्भ (viii) या स्तम्भ (ix) में निर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा;

परन्तु और आगे कि किसी भी विशिष्ट मामले में और लिखित मामलों में अभिलेखित किए जाने वाले विशेष कारणों के लिए कोई अन्य दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा;

(3) नियम, 11 के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) परिषद् कर्मचारी उस सरकारी कर्मचारी से सहायता ले सकता है जो मुख्यालय में या उस स्थान पर नियुक्त है जहां उसकी ओर से मामले के प्रतिवाद के लिए जांच पड़ताल की जाती है लेकिन इस प्रयोजन के लिए तब तक कानूनी पेशेवर नहीं कर सकता है जब तक कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुती अधिकारी कानूनी पेशेवर न हो, या अनुशासनिक अधिकारी को मामले की परिस्थितियों की जानकारी हो, जैसी अनुमति हो;

परन्तु परिषद् कर्मचारी किसी भी अन्य स्थान पर कार्यरत किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकते हैं यदि जांच पड़ताल अधिकारी मामले की परिस्थितियों की जानकारी रखता है और लिखित में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के लिए, जैसा उचित हो।

नोट :—परिषद् कर्मचारी उस सरकारी कर्मचारी से सहायता नहीं ले सकते जिसके पास दो लम्बित अनुशासनिक मामले हैं जिसमें उसे सहायता देनी है।

(4) नियम 12 में, नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रावधान अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि जहां नियम 8 के स्तम्भ (v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी आरोप के लिए नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार जांच पड़ताल की गई है, अनुशासनिक अधिकारी, यदि जांच पड़ताल अधिकारी के निष्कर्ष है ऐसा दण्ड आरोपित करने के अन्तिम आदेश देने से पहले जांच पड़ताल रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित परिषद् कर्मचारी को देगा ताकि उसें अनुशासनिक अधिकारी को अभ्यावेदन या लिखित में प्रस्तुतीकरण करने का अवसर मिल सके।"

(5) नियम 13 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) उपनियम (1) के नियम (ख) के किसी बात के न होते हुए किसी मामले में परिषद् कर्मचारी द्वारा उस उपनियम के स्तम्भ (क) के अन्तर्गत दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो पर विचार विमर्श के पश्चात् वेतन में वृद्धियों को रोकने का प्रस्ताव किया जाता है और वृद्धियों को इस प्रकार रोकना जो कर्मचारी को देय पेंशन राशि पर असर डालेगा या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धियों को रोकना या किसी भी अवधि के लिए वेतन वृद्धियों को एक साथ रोकना, परिषद् कर्मचारी पर इस प्रकार का आदेश जारी करने का कोई भी दण्ड अधिरोपित करने से पहले नियम 11 के (23) के उपनियम (3) में अधिकथित ढंग से जांच पड़ताल रोक दी जाएगी।

(6) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"16. नियम 11 से पहले 15 तक किसी बात के न होने पर—

(i) जहां एक परिषद् कर्मचारी पर आचरण के आधार पर दण्ड अधिरोपित किया जाता है जिसने उसके विवाद को अपराधी चार्ज पर पहुंचा दिया है, या

(ii) जहां अनुशासनिक अधिकारी इसके द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के लिए संतुष्ट है इन नियमों में दिए गए ढंग से जांच पड़ताल करना पूर्णतः कारगर नहीं है, या

(iii) जहां परिषद् या अध्यक्ष संतुष्ट है कि स्टेट की सुरक्षा के हित में इन नियमों में दिए गए ढंग से जांच पड़ताल करना समीचीन नहीं है;

तो अनुशासनिक अधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर जैसा उचित समझे ऐसे आदेश दे सकता है :

बशर्ते कि परिषद् कर्मचारी को उस पर अधिरोपित किए जाने वाले प्रस्तावित दण्ड का कोई आदेश जारी करने से पहले खंड (1) के अन्तर्गत अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

(7) नियम 19 में, उपनियम (1) में 2000/- रु० के स्थान पर 5000/- रु० प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(8) नियम 20 में,

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

(iv) नियम 8 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से किसी को भी अधिरोपित करने वाला आदेश चाहे वह अनुशासनिक अधिकारी या किसी अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा बनाया गया हो।

(ख) स्तम्भ (v) में उप स्तम्भ (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(बीबी) कम करना या पेंशन रोकना या उसे नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य अधिकतम पेंशन देने से इंकार करना"।

(ग) स्तम्भ (v) में उपनियम (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) उसके निलम्बन की तारीख से या उसके बर्खास्तगी, निष्कासन, अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या निम्न सेवा, श्रेणी, पद को देने से, उसकी सेवा, ग्रेड या पद पर पुनः स्थापना या सेवा निवृत्ति की तारीख से समय वेतन में या समय के वेतनमान में स्तर की अवधि को निश्चय न करते या न करते हुए भी इस प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर बिताई गई अवधि की तरह माना जाएगा।

(घ) स्पष्टीकरण में, स्तम्भ (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) पेंशन शब्द के अतिरिक्त पेंशन, ग्रेचुटी और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सम्मिलित है।"

(9) नियम 21 में, —

(क) उपनियम (2) में, स्तम्भ (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि क्या ऐसा प्राधिकारी उस परिषद् कर्मचारी के संबंध में जिसके लिए अध्यक्ष या निदेशक उपनियम (1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी है अध्यक्ष या निदेशक के अधीनस्थ है, अपील अध्यक्ष या निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी, जैसा भी मामला हो।"

(ख) उपनियम (3) में रु० 2000/- शब्दों तथा अंकों के स्थान पर रु० 5000/- शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(10) नियम 25 के पश्चात् "भाग VIII पुनः विवेचन" शीर्षक के स्थान पर "भाग VIII संशोधन तथा पुनः विवेचन" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(11) नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"26. (i) इन नियमों में किसी बात के न होते हुए :—

(i) केन्द्रीय सरकार; या

(ii) परिषद् ; या

(iii) अपीलीय प्राधिकारी संशोधित होने की प्रस्तावित तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय या तो अपने या उसके निर्णय पर अन्यथा किसी भी पूछताछ के अभिलेखों को मांग सकता है और इन नियमों के अन्तर्गत बनाए गए किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है लेकिन जिसमें से कोई भी अपील नहीं की गई है या जिसमें से कोई अपील स्वीकृत नहीं है, और

(क) आदेश को निश्चित, नवीनीकृत या परिवर्तित कर सकता है, या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड निश्चित करना, कम करना, बढ़ाना या समाप्त करना या जहां कोई भी दण्ड अधिरोपित नहीं है दण्ड अधिरोपित कर सकता है; या

(ग) मामला उस अधिकारी को दे दो जिसने आदेश दिए या किसी ऐसे अधिकारी को निर्देश देने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को आगे की जांच पड़ताल करने के लिए जैसा वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पास कर सकते है, जैसा उचित लगे; बशर्ते कि (1) पुनः संशोधन प्राधिकारी द्वारा कोई भी आदेश दण्ड अधिरोपित करने या बढ़ाने वाला आदेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि संबंधित परिषद् कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाएगा और जहां नियम 8 के स्तम्भ (V) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट दण्डों में कोई भी दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव है या उन स्तम्भों में विनिर्दिष्ट आरोपों में से किसी को भी पुनः संशोधित करने के लिए बनाए गए आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को बढ़ाने के लिए और उस मामले में यदि नियम 11 के अन्तर्गत पहले से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है तो ऐसा कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा सिवाय नियम 16 के प्रावधानों के अधीन नियम 11 में अधिकथित ढंग से जांच पड़ताल के पश्चात् :—

(ii) संशोधन की कोई भी शक्ति प्रयोग नहीं की जाएगी जब तक कि :

(i) प्राधिकारी, जिसने अपील में आदेश बनाया है, या

(ii) प्राधिकारी जिसको अपील करनी होगी, जहां कोई अपील नहीं की गई है; उसके अधीन है।

(2) संशोधन के लिए कोई कार्रवाही तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी :—

(i) अपील के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, या

(ii) अपील के निपटान के पश्चात् जहां ऐसी कोई अपील की गई है।

(3) संशोधन के लिए आवेदन उसी ढंग से विचार किया जाएगा जैसा कि यह इन नियमों के अन्तर्गत कोई अपील हो;

(12) नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"27 प्राधिकारी जिसने आदेश पारित किया है किसी भी समय या तो अपनी इच्छा से या अन्यथा इन नियमों के अन्तर्गत पारित किसी आदेश का पुनः विवेचन करने जब कोई नई सामग्री या प्रमाण जो कि प्रस्तुत नहीं किए जा सकते या पुनः विवेचन के अधीन आदेश पारित के समय उपलब्ध नहीं थे और जिनमें मामले को बदलने वाली ताकत है, आया है या उसकी जानकारी में लाया गया है;

बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी दण्ड को अधिरोपित करने या बदलने का कोई भी आदेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया गया हो या नियम 8 में विनिर्दिष्ट बड़े दण्डों में कोई भी अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया है या पुनः विवेचन किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिरोपित छोटे दण्ड को किसी भी बड़े दण्ड में बढ़ाने के लिए और यदि मामले में नियम 11 के अन्तर्गत कोई भी जांच पड़ताल पहले से नहीं रोकी गई है तो ऐसा कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा सिवाय नियम 16 के प्रावधानों के अधीन नियम 11 में अधिकथित ढंग से जांच पड़ताल के पश्चात् ।"

(13) नियम 27 के पश्चात् "भाग IX विविध" शीर्षक अन्तः स्थापित किया जाएगा ।

[फा०सं० 3/27/89–ई.आई.एण्ड ई.पी.]

कु० सु पा सुब्बण्णा, निदेशक

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं० का०आ० 42 तारीख 7 जनवरी, 1978 द्वारा प्रकाशित की गई और सं० का०आ० 1442 तारीख 5 मई, 1979, सं. का०आ० 1020 तारीख 19 अप्रैल, 1980 तथा सं० का०आ० 556 तारीख 6 फरवरी, 1982 सं० का०आ० 2631 तारीख 14 अक्टूबर, 1989 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st May, 1993

G.S.R. 311.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Council Employees (Classification Control and Appeal) Rules, 1978,—

(1) for the rule 5, the following rule shall be substituted namely :—

"5 For the purpose of these rules, the employees shall be classified into the following four groups, namely :—

Group A : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4,000.

Group B : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 2,900 but less than Rs. 4,000.

Group C : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 1,150 but less than Rs. 2,900.

Group D : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of which is Rs. 1,150 or less :

Provided that posts created on or after 1st January, 1986 as specific additions to existing cadres shall have the same classification of posts in the cadre to which they are added.

Note :—For the purpose of this rule :—

(i) 'Pay means the amount drawn monthly by the Council employee as the Pay (other than special Pay or pay granted in view of his personal Qualifications), Overseas Pay, Special Pay and Personal Pay and any other emoluments which may be specially classed as pay by the Central Government from time to time.

(ii) The pay or scale of pay of a post means the pay of scale of pay prescribed under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986 as applicable to Council employees from time to time.

(2) In rule 8,—

(i) the words "Minor Penalties" shall be inserted as the heading for clauses (i) to (iv) and the words "Major Penalties" shall be inserted as the heading for clauses (v) to (ix);

(ii) after clause (ix) and before "Explanation", the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in every case in which the charges of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (viii) or clause (ix) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed";

(3) in rule 11, for sub-rule (8), the following shall be substituted, namely :—

"(8) The Council employees may take the assistance of any Government servant posted in any office either at his headquarters or at the place where the inquiry is held to defend the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits :

Provided that the Council employees may take the assistance of any other Government servant posted at any other station, if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits.

Note :—"The Council employees shall not take the assistance of a Government servant who has two pending discip-

linary cases in hand in which he had to give assistance."

(4) in rule 12, after sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where an enquiry has been held in accordance with the provisions of rule 11 for any of the penalties specified in clause (v) to (ix) of rule 8, the Disciplinary Authority, if it is different from the Inquiring Authority, shall before making any final order of imposing such penalty, forward a copy of the inquiry report to the Council employee concerned giving him an opportunity of making any representation or submission in writing to the Disciplinary Authority.";

(5) in rule 13, after sub-rule (1), the following shall be inserted namely :—

"(1A) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Council employee under clause (a) of that sub-rule to withhold increments is pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, the inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 11, before making any order imposing on the Council employee any such penalty.";

(6) for the rule 16, the following shall be substituted, namely :—

"16. Notwithstanding anything contained in Rule 11 to Rule 15

(i) where any penalty is imposed on a Council employee on the round of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, or

(iii) where the Council or Chairman is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules,

The disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such order thereon at it deems fit:

Provided that the Council employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i)".

(7) in rule 19, in sub-rule (1), for "Rs. 2,000/-", the figure "Rs. 5,000/-" shall be substituted.

(8) in rule 20,

(a) For the sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely :—

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 8 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or revising authority.";

(b) in clause (v), after sub-clause (b), the following shall be inserted namely :—

"(bb) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the rules,";

(c) in clause (v), after sub-rule (e), the following shall be inserted, namely :—

"(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose".;

(d) in the Explanation, after clause (i), the following shall be inserted, namely :—

"(ii) the expression 'Pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit".

(9) in rule 21,—

(a) in sub-rule (2), after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that whether such Authority is subordinate to the Chairman or Director in respect of council employee for whom Chairman or Director is the appellate authority in terms of sub-rule (i), the appeal shall lie to the Chairman or Director, as the case may be.";

(b) in sub-rule (3), for the word and figure "Rs. 2,000/-" the word and figure "Rs. 5,000/-" shall be substituted.

(10) after rule 25, for the heading "Part VIII-REVIEW", heading "PART VIII-REVISION AND REVIEW" shall be substituted.

(11) for rule 26 the following rule shall be substituted, namely :—

"26. (1) Notwithstanding anything contained in these rules :—

(i) the Central Government; or

(ii) the Council; or

(iii) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be revised, may at any time, either on its or his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, and may :

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit :

Provided that :

(i) no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the Council employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and, where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses and if an enquiry under rule 11 has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in rule 11 subject to the provisions of rule 16.

(ii) no power of revision shall be exercised unless

(i) the authority which made the order in appeal or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after—

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal; or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.";

(12) for the rule 27, the following shall be substituted, namely :—

"27. the authority who has passed any order may, at any time, either on its own motion or otherwise, review, any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought, to his notice :

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the concerned authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in rule 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if any enquiry under rule 11 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in rule 11 subject to the provisions of rule 16".

(13) after rule 27, the heading "Part IX-Miscellaneous" shall be inserted.

[F. No. 3(27)/89.EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

Footnote : Principal Notification was published by No. S.O. 42 of 7th January, 1978 and amendment by No. S.O. 1442 of 5th May, 1979 No. S.O. 1020 of 19th April, 1980 and No. S.O. 556 of 6th February, 1982, No. S.O. 2631 of 14th October, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993.